



Neutral Citation No.-2026:AHC:9975

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-32162 वर्ष 2025

चमन सैनी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राधे श्याम त्रिपाठी, रमा शंकर मिश्रा, रामेंद्र कुमार त्रिपाठी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राम शंकर मिश्रा, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार मिश्रा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2017 के अपराध संख्या-1070 के मामले में, धारा 302 भ०द०वि०, थाना-मझोला, जिला: मुरादाबाद, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने अपने पिता के साथ मिलकर 01.10.2017 को लगभग 2:30 बजे अपनी पत्नी को चाकू से कई बार वार करके हत्या कर दी थी।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आरोप अपने आप में झूठे हैं। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उक्त अपराध को अंजाम दिया है। आवेदक 19.10.2017 से जेल में बंद है, इस प्रकार, कैद की अवधि 8 वर्ष और 3 महीने से थोड़ी कम है। कारावास की अवधि आवेदक को जमानत का अधिकार देती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं कर सका।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 29.10.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 3 गवाहों से पूछताछ की गई है, जो इंगित करता है कि मुकदमे को पूरा होने में और वर्ष लग सकते हैं क्योंकि अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट) में 26 गवाहों का उल्लेख किया गया है। मुकदमे की गति आवेदक के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में बहुत कुछ बताती है।

8. जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2024 आई.एन.एस.सी. 645 में आरोपी को ज़मानत देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कहा है:

7. पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों पर मौजूद सामग्रियों को देखने के बाद, हम निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने के इच्छुक हैं:

(i) अपीलकर्ता पिछले चार वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में है;

(ii) आज की तारीख तक, विचारण न्यायालय आरोप तय करने के लिए भी कार्यवाही नहीं कर पाया है; तथा

(iii) जैसा कि राज्य और एनआईए की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया है, अभियोजन पक्ष कम से कम अस्सी गवाहों से पूछताछ करने का इरादा रखता है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें आश्चर्य है कि किस अवधि तक, परीक्षण अंततः समाप्त हो जाएगा। अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, एक अभियुक्त को भारत के संविधान के तहत निहित त्वरित सुनवाई का अधिकार है।

9. समय के साथ, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि ज़मानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।

10. उपरोक्त संदर्भ में, हम विचारण अदालतों और उच्च न्यायालयों को याद दिला सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा गुडिकांति नरसिम्हलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय द्वारा (1978) 1 एस.सी.सी. 240 में रिपोर्ट की गई थी। हम उद्धृत करते हैं:



"जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, और इसलिए याद दिलाया जाता है, वह किसी व्यक्ति को सुनवाई या अपील के निपटान तक न्यायिक हिरासत में रखने का उद्देश्य है। लॉर्ड रसेल, सीजे, ने कहा [आर बनाम रोज, (1898) 18 कॉक्स]:

"मैंने देखा कि इस मामले में कैदी के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह देश के मजिस्ट्रेट पर बहुत दृढ़ता से प्रभावित नहीं किया जा सकता है कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि यह कि जमानत की आवश्यकताएं केवल मुकदमे में कैदी की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए हैं।

9. उच्चतम न्यायालय ने गुरबख्श सिंह सिब्बा बनाम राज्य (1980) 2 एस.सी.सी. 565 में रिपोर्ट किए गए पंजाब राज्य; हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) 1 एस.सी.सी. 81; कादरा पहाड़िया और अन्य बनाम बिहार राज्य (1981) 3 एस.सी.सी. 671 और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आरएस नायक (1992) 1 एस.सी.सी. 225; मोहम्मद मुस्लिम @ हुसैन बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 2023 आई.एन.एस.सी. 311; एक दोषी कैदी बनाम राज्य 1993 सीआरआई एलजे 3242; भारत संघ बनाम केए नजीब (2021) 3 एस.सी.सी. 713; इंद्राणी प्रतिम मुखर्जी बनाम सीबीआई, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 695 में इसी सिद्धांत को दोहराया था।

10. सैंथिल बालाजी बनाम प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक 2024 INSC 739 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, आरोपी को 15 महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि "मुकदमे के समापन में अत्यधिक देरी और जमानत देने के लिए उच्च सीमा एक साथ नहीं जा सकती है"।

11. सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51 में रिपोर्ट किए गए मामले में, लंबे समय तक कैद और अत्यधिक देरी ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसने धारा 37 एन.डी.पी.एस. अधिनियम सहित कई अधिनियमों के संबंध में जमानत के प्रति सही दृष्टिकोण पर विचार किया।

12. उच्चतम न्यायालय ने एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 10455-10456/2025 रामनाथ मिश्रा @ रामनाथ मिश्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में पारित अपने नवीनतम फैसले में दोहराया कि अदालतों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों को अत्यंत तेजी से संबोधित किया जाना चाहिए।



आरोपी पहले ही तात्कालिक और संबंधित मामलों में साढ़े तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद था। उच्च न्यायालय द्वारा उसके आवेदन पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण आरोपी को जमानत पर रिहा करने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों के लिए त्वरित निर्णय लेने पर जोर देते हुए, लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण कारावास को भी ध्यान में रखा गया।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, कैद की अवधि के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

14. आवेदक- चमन सैनी, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 14, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)